आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

02/09/2019

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जहानाबाद।

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–02/AC/2016–17

राजेन्द्र पासवान बनाम अशोक सिंह एवं अन्य

आदेश

यह जमाबंदी रद्द वाद श्री राजेन्द्र पासवान पिता–स्व0 सकी चंद पासवान, ग्राम–केन्दुई थाना–परसबिगहा, जिला–जहानाबाद के द्वारा आशोक सिंह पिता–स्व0 रामधनी सिंह एवं अन्य बूटन सिंह ग्राम–बढेता थाना–परसबिगहा जिला–जहानाबाद के द्वारा गलत ढंग से जमाबंदी कायम करा लिये जाने के कारण इनके विरूद्ध बिहार नामान्तरण अधिनियम 2011 की धारा (9) के तहत भूमि की जमाबंदी करने हेतु आवेदन दायर किया गया है

प्रथम पक्ष का कहना है कि खाता सं0–38 प्लॉट सं0–107 रकवा–4.89डी0 मौजा–नूरचक थाना–49 भूमि का किस्म गैरमजरूआ मालिक (मालिक शेख बहादूर सिंह) से बैद्य बंदोबस्ती से प्राप्त जमीन की तिथि से पूर्व से ही (लगभग 70–80 वर्ष से) शांतिपूर्ण दखल कब्जा और जोत–कोड कर आबाद करते आ रहे है।

यह है कि विपक्षी उक्त जमीन पर गलत तारिके से जमाबंदी में छेड–छाड कर एवं निराधार दस्तावेज बनाकर एवं अपने पूर्वज का जमीन बताकर सरकारी जमीन को हड़प करना चाहते है और साथ में वादी के हित को प्रभावित करते आ रहे है। यह कि प्रतिवादी खाता सं–28 थाना–49 मौजा–नूरचक अविधारी रामचरण गोप वल्द सोहराई गोप साकिन–जहगीरपुर के जमीन को खाता सं0–38 बताते हुए जमांबदी संख्या–52 रामधनी सिंह उर्फ बूटन सिंह पिता–अलखू सिंह के नाम पर जमाबंदी गलत तारिके से खुलवाकर यानी खाता संख्या–28 को 38 बताते हुए दस्तावेज तैयार किया गया जिसमें ऐराजी 3.66 डी0 बताया गया है जबकि खाता–28 का एराजी–1.14 डी0 है। रसीद संख्या–153197 वर्ष–1988–89 मौजा–नूरचक, खाता स–28 सही रकवा वो मालिक–1.14 डी0 रामचरण गोप एवं गलत रकवा वो मालिक 3.66 3/4डी0 रामधनी सिंह तथा रसीद सख्या–0698161 वर्ष–2006–09 नूरचक खाता सं–28 सही रकवा वो मालिक रकवा–1.14 डी0 एवं गलत रकवा वो मालिक 3.66¾डी0 रमाधनी सिंह है। यह है कि प्रतिवादी के पिता रामधनी सिंह के द्वारा वादी पर 23.03.1994 को अपना खेत बताते हुए मसूर काटने का झुठा केस किया चोरी का आरोप साबित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई भी अवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त जमीन का मालिक होने का दावा पेश किया जा सके। वही दस्तावेज इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्नतः 15.01.2011 को अरविन्द आजाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम न्यायालय से रिहाई हुई पुनः प्रतिवादी आपीर्थी बनकर अपील संख्या– 08/2011 एवं 18/15 को लाया गया जिसे ए.डी.जे.–05 श्री रजनीश कुमार श्रीवास्त द्वारा खारिज किया गया। यह कि प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज न रहे के बावजूद वादी का परेशान करने पर जाचोरांत पाया गया कि खाता सं0–28 को 38 बताकर गलत जमाबंदी संख्या–52 खोला गया इसके बाद यह वाद लाया गया है। प्रतिवादी द्वारा एक भी प्रमुख/मूल और तथ्य परक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया जो भी प्रस्तुत किया गया है वह पहले ही सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है इस न्यायालय में भी वही तथ्यहीन साक्ष्य है जिसका न्यायालय ने एक्जीवीट करने लायक नहीं है। यह है कि प्रतिवादी द्वार स्वार्थ व लालच से प्रेरित होकर 4.89डी0 सरकारी जमीन से वैद्य बंदोबस्ती के बाद बचे जमीन जो अब भी कुछ अंश वादी के पास है एवं कुछ अंश सड़क/नाला/बंजर है। उसी जमीन पर शेष गणना कर तकनीकी जाल–साज से गलत दस्तावेज बनाकर वादी को प्रतिवादी द्वारा परेशान किया गया जो असफल रहा है। प्रतिवादी को न्याय का रास्ता पसंद नहीं है उन्हे झुठे दस्तावेज पर भरोसा है आज तक प्रतिवादी के पूर्वज और न ही प्रतिवादी खुद 01 डी0 जमीन पर भी दखल कब्जा मे नहीं आया है। यह है कि प्रतिवादी का